बिहार सकरार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था०2/04-03/2012 / 1580 पटना, दिनांक- 10.10.14

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
उप सचिव

फैक्स/ईमेल संवाद

सेवा में,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (बांका, शिवहर, बेगुसराय, वैशाली, शेखपुरा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, सहरसा एवं जहानाबाद को छोड़कर)।

विषय:- **बिहार सरकार के विनियोग लेखे 2011-12 का प्रारूप अनुदान/ विनियोग संख्या-35 मुख्य शीर्ष-3454 के अन्तर्गत हुए अधिकाय व्यय के प्रेषण के संबंध में।**

प्रसंग:- निदेशालय के पत्रांक-130 दिनांक 31.01.14, पत्रांक-213 दिनांक 18.02.14, पत्रांक-608 दिनांक 24.04.14, पत्रांक-849 दिनांक 20.06.14, पत्रांक-941 दिनांक 07.07.14 एवं पत्रांक-1433 दिनांक 18.09.14

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का स्मरण किया जाय। बिहार सरकार के विनियोग लेखे 2011-12 का प्रारूप अनुदान/विनियोग संख्या-35, मुख्य शीर्ष-3454 के अन्तर्गत उप शीर्ष-0605-लघु सिंचाई परियोजनाओं अन्तर्गत न्यादर्श सर्वेक्षण शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2011-12 में मानदेय भुगतान हेतु आवंटित राशि के विरूद्ध आपसे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्यापर्ण/व्यय प्रतिवेदन वित्त विभाग को भेजा गया था। उक्त प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन के आधार पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा कुल 80,800/-रूपये अधिकाय व्यय प्रतिवेदन किया गया है। वित्त विभाग के द्वारा अधिकाय व्यय की नियमित समीक्षा की जा रही है। उक्त के आलोक में विभागीय सचिव महोदय द्वारा पत्र प्राप्ति के 3 दिनों के अन्दर लंबित प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेश दिया गया था। अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जायेगा। उक्त निदेश के अनुपालन भी आपके द्वारा अब तक नही किया गया है, जो अति खेद का विषय है।

अत: पुन: निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 2 (दो) दिनों के अन्दर लंबित वांछित प्रतिवेदन विशेष दूत द्वारा भेजना सुनिश्चित किया जाय। यदि निर्धारित समय के अर्न्तगत प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया जाता है तो आपके विरूद्ध कर्तव्यहीनता एवं अनुशासहीनता का आरोप गठित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जायेगा। इसे अंतिम स्मार समझा जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन
10/10/14
उप सचिव

ज्ञापांक- 1580 पटना, दिनांक 10.10.2014

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना

2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना
3. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने स्तर से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश देना चाहेंगे कि लंबित वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।
3. विशेष सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना
4. वरीय अनुसंधान पदाधिकारी (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।

10/10/14
उप सचिव

Raju/Est-2/Binod/03